



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 नवम्बर, 2021  
कार्तिक 20, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 40/2021/1215/सात-न्याय-2-2021-201G-95 टी0सी0  
लखनऊ, 11 नवम्बर, 2021

अधिसूचना  
प्रकीर्ण

प०आ०-414

राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सिफारिश पर निदेश देती हैं कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित व्यक्ति, जिन्हें उत्तर प्रदेश पेटी अफेन्सेस (ट्रायल बाई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट) रूल्स, 1997 के नियम 4 के उप नियम (दो) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित सरकारी अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित दिनांक से पद त्याग करने के कारण अपना-अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेंगे।

अनुसूची

क्रम-संख्या	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम और तैनाती का स्थान	सेवा से प्रविरत होने का दिनांक	अधिसूचना संख्या जिसके द्वारा नियुक्ति की गयी
1	2	3	4
1	श्री कौशल पाल सिंह, गाजियाबाद	14-07-2021	3/2017/423/सात-न्याय-2-2017-201जी/95, दिनांक 16-06-2017

1	2	3	4
2	श्री धर्म प्रकाश, गाजियाबाद	16-07-2021	1525 / सात- न्याय -2-2017- 201जी / 95, दिनांक 02-02-2018

आज्ञा से,  
प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 40/2021/1215/VII- Nyaya-2-2021-201G-95 T.C., dated November 11, 2021:

No. 40/2021/1215/VII- Nyaya-2-2021-201G-95 T.C.  
Dated Lucknow, November 11, 2021

THE Governor, on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to direct that the persons mentioned in Column-2 of the Schedule below, who were appointed as Special Judicial Magistrate in exercise of the powers under section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) read with sub-rule (ii) of rule 4 of the Uttar Pradesh Petty Offences (Trial by Special Judicial Magistrates) Rules, 1997, vide Government notification mentioned in Column-4 of the Schedule below shall cease to hold their office on account of resignation with effect from the date mentioned in Column-3 of the said Schedule.

#### SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Special Judicial Magistrate and Place of Posting	Date on which service ceases	Notification number by which appointed
1	2	3	4
1	Sri Kaushal Pal Singh, Ghaziabad.	14/07/21	3/2017/423/VII- Nyay-2-2017- 201G/95, Dated 16.06.2017
2	Sri Dharam Prakash, Ghaziabad.	16/07/21	1525/VII-Nyay- 2-2017-201G/95, Dated 02.02.2018

By order,  
PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-II,  
Pramukh Sachiv.